

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान-जयपुर।


कमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/307

दिनांक:-20.07.09

निदेशक,  
जन सम्पर्क विभाग,  
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रसारण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति कमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/306 दिनांक:20.07.09 की छः प्रतियाँ संलग्न कर लेख है कि इनका राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति की राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।


  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0-जयपुर।

कमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/307

दिनांक:-20.07.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. उप शासन सचिव, (गुप-3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी सर्वरक्षक, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश विज्ञप्ति कमांक:प्रशि.  
/जीएनएम/09/306 दिनांक:20.07.09 को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0-जयपुर।

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

कमांक-जीएनएम/प्रशिक्षण/09/306

दिनांक-20.07.2009

:: विज्ञप्ति ::

जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार निजी नर्सिंग स्कूल्स की 50 प्रतिशत सीटों पर इस निदेशालय द्वारा राजकीय कॉसलिंग से तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों पर उनके रजिस्टर्ड फैंडरेशन द्वारा प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। सत्र 2009-10 के लिये इस निदेशालय एवं फैंडरेशन ने अपने-अपने स्तर पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं।

राजकीय कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिये इस निदेशालय स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, और शीघ्र ही कम्प्यूटराईज्ड कॉसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाने वाला है। अतः सभी अभ्यर्थियों/उनके अभिभावकों के हितार्थ यह विज्ञप्ति प्रकाशित कर सावचेत/आगाह किया जाता है कि किसी अन्य स्तर से अनाधिकृत/अनियमित प्रवेश नहीं लेवें, अन्यथा इसके लिये उनका स्वयं का दायित्व होगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश देय नहीं होगा।



(ओ. पी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान-जयपुर।